न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –58/2017 जिला सीकर।

1. महेन्द्र
2. बाबू लाल
3. प्रभु पुत्रान मोटाराम, समस्त जाति बलाई, निवासी ग्रम बनाई, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 24.11.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक–14.5.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्रम बनाई मे उनके पिता मोटाराम के नाम उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर ने आराजी खसरा नम्बर 62 में 5 बीघा भूमि दिनांक 23.5.75 को अलाटमेन्ट की थी ओर अपीलाथीगण के पिता मोटाराम पुत्र सुखदेवाराम के पक्ष में नामांतरकरण भरा गया था । विवादित भूमि खसरा नम्बर 62/1 रकबा 3.87 हैक्टेयर में से 5 बीघा भूमि पर अपीलाथीगण आवंटन के पश्चात् से ही काबिज काश्त है तथा आवास निवास बनाकर रह रहे हैं । नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता मोटाराम के खिलाफ धारा 91 में मुकदमा दर्ज किया गया जिसके निर्णय दिनांक 18.4.90 में विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त बताया था । ग्रम पंचायत बगडी द्वारा उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश अलाटमेन्ट कमेटी दिनांक 23.5.75 को निरस्त कराने हेतु अपील न्यायालय जिलाधीश सीकर को की, जो निर्णय दिनांक 9.9.75 द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं अलाटमेन्ट कमेटी ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को भूमि देने हेतु सारी कार्यवाही दिनांक 23.5.75 को ही करना, आवंटन नियमों के विभिन्न प्रावधानों की पालना नहीं करना , विवादित भूमि खसरा नम्बर 62 जो ग्रम बनाई में स्थित है वह बंजड है अथवा चरागाह ? यदि बंजड है तो उसकी पहले किस्म परिवर्तन करनी चाहिए थी और यदि बंदोबस्त के रिकार्ड में बंजड अंकित करते समय किस्म कायम की है तो उसका हवाला दिया जाना आवश्यक था । भूमि बंजड काबिल काश्त है या बंजड जोहड या बंजड चरागाह है, साबित नहीं होने से अपील स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का आवंटन आदेश दिनांक 23.5.75 निरस्त किया गया तथा प्रकरण उन्हे उपर वर्णित बातों की जॉच कर आवंटन नियमों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसरण में पुनः नियमानुसार कार्यवाही करने एवं प्रत्येक पक्ष को नोटिस देकर, जॉच कर व सुनकर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।

जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 9.9.75 से व्यथित होकर भूमि के आवंटियों द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत जो निर्णय दिनांक 29.10.76 द्वारा खारिज होने पर मु. पारली बेवा मूलाराम वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 20.11.78 द्वारा पटवारी की राय पर आवंटन कमेटी ने अपने विवेक से भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित करने, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील आवंटन के नियमों में क्या कमी पाई गई, नहीं बता सकने एवं राज्य सरकार की उदार नीति के अनुरूप यदि आवंटन हो जाता है तो हमें ऐसे आवंटन को राज्य सरकार के नियमों की नीति रीति के परिपेक्ष्य में देखना होगा उसे कमजोर वर्ग के विपरीत वार का आधार नहीं बना सकते , मानते हुये खारिज की है तथा संशोधन आदेश दिनांक 18.4.79 पारित कर अपील खारिज को संशोधित कर अपील स्वीकार की गई ।

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 136 पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2017 पारित कर प्रार्थीपक्ष द्वारा चाहा गया उक्त वर्णित संशोधन एल.आर.एक्ट की धारा 136 की परिधि में नहीं होने एवं एल.आर. एक्ट की धारा 136 में छोटी लिपिकीय त्रुटियां समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर ही दुरूस्त के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 24.11.2017 के खिलाफ अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । दौराने बहस रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्यरूप से कथन किया कि विवादित भूमि उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर ने अपीलान्ट्स के पिता मोटाराम को आवंटन आदेश दिनांक 23.5.75 से आवंटित की थी तथा आवंटन के आधार पर मोटाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया था । अपीलान्ट्स आवंटित भूमि पर मकानात बनाकर निवास कर रहे हैं तथा काबिज काश्त है । विवादित भूमि के आवंटन का आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से कायम रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अनदेखी करते हुये धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में रही त्रुटि को भू अभिलेख अधिकारी यानी उप खण्ड अधिकारी को दुरूस्त करने का अधिकार प्रदत्त है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार नहीं कर अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण विवादित भूमि का आवंटन अपीलान्ट्स के पिता के नाम होने पर खातेदारी अपीलान्ट्स के नाम अंकित करने एवं राजस्व अभिलेख में वर्तमान में दर्ज खातेदारी को दुरूस्त करने से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2017 द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया उक्त वर्णित संशोधन एल.आर.एक्ट की धारा 136 की परिधि में नहीं होने

एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 में छोटी लिपिकीय त्रुटियां समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर ही दुरूस्त के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है । दूसरी ओर आवंटन आदेश के खिलाफ ग्रम पंचायत की अपील जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 9.9.75 से स्वीकार होकर आवंटन आदेश दिनांक 23.5.75 निरस्त हुआ है तथा इस आदेश के खिलाफ आवंटियों की अपील राजस्व अपील अधिकारी (द्वितीय) जयपुर के निर्णय दिनांक 29.10.76 द्वारा खारिज होने पर इस आदेश के खिलाफ आवंटियों की अपील राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 20.11. 78 से खारिज एवं संशोधित निर्णय दिनांक 18.4.79 से स्वीकार की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियॉ प्रभावित पक्षकारों को सुनकर दुरूस्त की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11. 2017 से अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया उक्त वर्णित संशोधन एल.आर.एक्ट की धारा 136 की परिधि में नहीं होने एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 में छोटी लिपिकीय त्रुटियॉ समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर ही दुरूस्त किये जाने , के कारण चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 14.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर